

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.- 30...../2024

कुमारी लक्ष्मी पत्नि शीशपाल जाति जाट निवासी ढाणी आशा तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थनी -

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर जिला चूरु।

- अप्रार्थी -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 01/02/24


प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1185/652 तादादी 3.6038 हेक्ट., खसरा सं. 588 तादादी 3.5532 हेक्ट., खसरा नं. 651 तादादी 1.5680 हेक्ट., तथा रोही मौजा आनन्दसिंहपुरा के खसरा नं. 238/207 तादादी 2.9589 हेक्ट., खसरा नं. 240/196 तादादी 2.9463 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थनी का नाम लक्ष्मी अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थनी का नाम कुमारी लक्ष्मी सही हैं। प्रार्थनी के आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थनी का नाम कुमारी लक्ष्मी है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थनी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थनी जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बेना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1185/652 तादादी 3.6038 हेक्ट., खसरा सं. 588 तादादी 3.5532 हेक्ट., खसरा नं. 651 तादादी 1.5680 हेक्ट., तथा रोही मौजा आनन्दसिंहपुरा के खसरा नं. 238/207 तादादी 2.9589 हेक्ट., खसरा नं. 240/196 तादादी 2.9463 हेक्ट. में प्रार्थनी का नाम कुमारी लक्ष्मी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई रिपोर्ट पटवार हल्का आनन्दसिंह व कोहिणा के अनुसार प्रार्थनी कुमारी लक्ष्मी राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थनी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनी लक्ष्मी के स्थान पर कुमारी लक्ष्मी करवाना चाहती है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थनी लक्ष्मी दर्ज है। अतः प्रार्थनी लक्ष्मी के स्थान पर कुमारी लक्ष्मी दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि पटवार हल्का आनन्दसिंह व कोहिणा की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1185/652 तादादी 3.6038 हेक्ट., खसरा सं. 588 तादादी 3.5532 हेक्ट. खसरा नं. 651 तादादी 1.5680 हेक्ट., तथा रोही मौजा आनन्दसिंहपुरा के खसरा नं. 238/207 तादादी 2.9589 हेक्ट., खसरा नं. 240/196 तादादी 2.9463 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि लक्ष्मी Delete कर इसके स्थान पर कुमारी लक्ष्मी दुरुस्त किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक01/02/24..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।




(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)